बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............................

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 35/2026. –............................... विभागीय अधिसूचना संख्या 2681–सह पठित ज्ञापांक 2682, दिनांक 04.06.2026 के द्वारा डा॰ करूणा भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लई, पटना को बी॰एल॰डी॰ए॰, बिहार, पटना कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक 30, दिनांक 10.06.2026 के द्वारा डा॰ राकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शैलगढ़, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लई, पटना के सम्पूर्ण कार्यों का संपादन करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के उक्त आदेश के द्वारा डा॰ भारती को सभी अभिलेखों को अद्यतन कर अपना सम्पूर्ण प्रभार डा॰ कुमार को सौंपकर प्रतिनियुक्ति स्थल बी॰एल॰डी॰ए॰, बिहार, पटना में योगदान देने का निदेश दिया गया।

उक्त निदेश के अनुपालन में डा॰ कुमार के द्वारा अबतक डा॰ भारती से प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1730, दिनांक 17.06.2026 द्वारा डा॰ कुमार को भौतिक प्रभार ग्रहण करने हेतु पुनः निदेशित करने के बावजूद उनके द्वारा डा॰ भारती से भौतिक प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। उक्त स्थिति में डा॰ भारती स्थानांतरित स्थल बी॰एल॰डी॰ए॰, बिहार, पटना में अबतक योगदान नहीं दे पायी है, जिसके कारण बी॰एल॰डी॰ए॰, बिहार, पटना का कार्य लगातार बाधित है।

डा॰ कुमार का उक्त कृत्य न केवल विभागीय आदेश के अवहेलना का उल्लंघन है बल्कि उनके स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। डा॰ कुमार का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उक्त आलोक में डा॰ राकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शैलगढ़, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधान के तहत् डा॰ राकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शैलगढ़, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में डा॰ कुमार को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में डा॰ कुमार का मुख्यालय ***जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, गयाजी*** निर्धारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–

(धर्मवीर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 35/2026– ..../ पटना–15, दिनांक–.............

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 35/2026– ..../ पटना–15, दिनांक–.............

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 35/2026– ...381 नि॰गो॰वि॰......../ पटना–15, दिनांक–...29/07/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/गयाजी/डा॰ राकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शैलगढ़, पटना सम्प्रति निलंबित ***निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, गयाजी/***प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई॰टी॰ प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा कोषागार पदाधिकारी, पटना को मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/26

सरकार के अवर सचिव।